झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰– 8 /ज॰स॰(नि॰)रॉची–27/2007 :– रॉंची, दिनांकः–

आदेश

श्री शिव कुमार सिंह, सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मरलीगंज के पद पर पदस्थापन अवधि में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 705 दिनांक 24.02.09 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. श्री शिव कुमार सिंह, तत् सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये गये हैः–

आरोपः–

(क) श्री शिव कुमार सिंह, जब सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज के प्रभार में थे तो इनके द्वारा गंगापुर उप वितरणी के वि॰ दु॰ 14.75 पर कार्यो को विशिष्टि के अनुरूप नही कराया गया। जॉच में उक्त वि॰ दु॰ पर निर्मित जल प्रपात का निर्माण कार्य काफी घटिया पाया गया। प्रपात के डाउन स्ट्रीम क्रेस्ट स्लोप के बीचों बीच होल पाया गया।

(ख) पी॰ सी॰ सी॰ के नीचे ईट सोलिंग स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ। पी॰ सी॰ सी॰ की मोटाई रूपांकण के अनुसार 2'10" के स्थान पर मात्र 6" पाया गया।

(ग) प्रपात के डाउनस्ट्रीम भाग में जमा हुआ फिक्शन ब्लॉक बहुत झुका हुआ तथा टेढा मेढा पाया गया।

(घ) प्लास्टर एवं पनिंग झडा हुआ पाया गयां। प्रपात के डाउन स्ट्रीम क्रेस्ट स्लोप में पी॰ सी॰ सी॰ की कम मोटाई में ढलाई कर स्वीकृत आलेख के अनुसार भुगतान कर दिया गया।

3. श्री सिंह के दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा उपरोक्त नियम 55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक 4212 दिनांक 07.08.2015 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43बी॰ में सम्परिवर्तित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के बचाव बयान को काल्पनिक तथ्यों पर आधारित बताया है एवं श्री सिंह के बचाव बयान को अस्वीकार किया गया है। साथ ही श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों कंडिका क, ख एवं घ में उल्लेखित अनियमितता के लिए इन्हें जिम्मेवार बताया गया है।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री शिव कुमार सिंह तत् सहायक अभियंता सम्प्रति से॰ नि॰ को उक्त प्रमाणित आरोपो के लिए प्रस्तावित दण्ड देय पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती पॉच वर्षो के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री सिंह तत् सहायक अभियंता, सम्प्रति सेवा निवृत ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर प्रश्नचिन्ह खडा किया है। श्री सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बताया गया है एवं इस प्रकार के जॉच प्रतिवेदन पर कोई दण्ड देने के पूर्व पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7. श्री सिंह तत् सहायक अभियंता सम्प्रति से॰ नि॰ से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह

ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के साथ कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपो के संदर्भ में विचार किया जा सके।

अतः श्री शिव कुमार सिंह, तत्० सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

श्री शिव कुमार सिंह देय पेंशन से 10% की कटौती पॉच वर्षो के लिए।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1473 राँची, दिनांकः– 22-03-17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक–22/नि.सि. (पू.01–13/2007–985 दिनांक 17.10.2007 के कम में/कार्य अभियंता सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज/ उप सचिव (प्र.) ज. सं. विभाग, रॉची/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा 02 जल संसाधन विभाग, रॉची/ श्री शिव कुमार सिंह, तत सहायक अभियंता,सम्प्रति संवानिवृत पता– क्वाटर नं–2173/बी. सेक्टर–2, एच ई. सी. धुर्वा रॉची 834004/वेब मैनेजन, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2017

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

f:\dkumar all sec 2017\sec 8\office order\d 8 sankalp siv ku sing 23.02.17.docx